न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 119/2019

प्रार्थीगण :-

1. छगनाराम पुत्र जैसाजी जाति पुरोहित निवासी सूरिंह का ढाणी (जागसा) तह० पचपदरा जिला बाड़मेर
2. केवलराम पुत्र जैसाजी
3. शंकरराम पुत्र जैसाजी जाति पुरोहितम निवासी सूरिंह का ढाणी (जागसा) तह० पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. जोधाराम पुत्र मगनाराम
2. चेलाराम पुत्र जोधाराम
3. अणसी धर्मपत्नी जोधारामजी जाति कलबी निवासी सूरसिंह का ढाणा (जागसा) तहसील पचपदरा

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण :- 1 श्री लूणकरण शर्मा प्रार्थीगण वकील

आदेश दिनांक :- 5.08.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत के खसरा न0 1745/824 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा मौजा सूरसिंह का ढाणा (जागसा) में आवागमन उपयोग हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा न0 1540/821 रकबा 43 बीघा 5 बिस्वा में संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल रास्ता 15 फिट चौडा कटाण रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की और से वकील उपस्थित। जबाब पेश करने हेतु समय देने के बावजूद जबाब पेश नहीं किया गया । प्रार्थीगण वकील द्वारा दिनांक 9.2.2021 को प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया गया बावजूद [illegible] नही कराने पर अवसर बन्द किया गया । [illegible] की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र [illegible] राजस्व/2020/1911 दिनांक 06.10.2020 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा सूरसिंह का ढाणा में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

1745/824 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1540/821 रकबा 43 बीघा 5 बिस्वा खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 81,000/ रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 01.15 बीघा भूमि बनती है। प्रार्थीगण छगनाराम वगैरहा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संशोधित 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पूर्व में प्रार्थीगण के खेतों का विभाजन करा दिया था, लेकिन राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने से खेत खसरा न. 1719/824 नक्शा अनुसार रास्ता की मांग की गई थी, प्रार्थना पत्र पेश करने के वाद तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विभाजन के अनुसार रेकर्ड में तरमीम कर दी गई है, नये खसरा नं. 1745/824 रकबा 9.13 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया ।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सूरसिंह का ढाणा के खेत खसरा न0 1540/821 जो पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 01.15 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जावं की गई जिसके अनुसार मौजा सूरसिंह का ढाणा के खसरा संख्या 1540/821 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थीगण खसरा न0 1745/824 मौजा सूरसिंह का ढाणा पटवार हल्का पचपदरा तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 1540/821 में से नया मार्ग तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी. एल.सी रेट 81,000/ – प्रति बीघा निर्धारित दर के अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 01.15 बीघा भूमि की राशि 141750/– रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 283500/– रूपये राजकोष में जमा करवाकर भुगतान करे एवं भुगतान रसीद तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करावें, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट दिनांक 5.10.2020 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय माग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 5.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner